

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक : 05 (यो0-7)-434/2021 ग्रा0का0वि0 53/2, रांची दिनांक 23.08.2021

प्रेषक,

मनीष रंजन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0-डोरंडा, झारखण्ड, रांची।

विषय : राज्य संपोषित योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, साहेबगंज के लिए न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (शीर्ष-4515) के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में पथ/पुल/पुलियों परियोजनाओं के सुदृढीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग : अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दुमका का पत्रांक-297 (अनु0), दिनांक-07.08.2021

आदेश : स्वीकृत।

2. राज्य संपोषित योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, साहेबगंज के लिए न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (शीर्ष-4515) के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में निम्न पथ/पुल/पुलियों परियोजनाओं के सुदृढीकरण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:-

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	योजना का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत्यादेश की राशि (लाख में)
1	पलना	केलाबाड़ी चौक से कटहलबाड़ी होते हुए तीनपहाड़ मुख्य पथ तक पथ का सुदृढीकरण कार्य।	1.350	80.426
कुल			1.350	80.426

(अस्सी लाख बीयालीस हजार छः सौ रू0 मात्र)

- उक्त योजना के विस्तृत प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दुमका द्वारा योजना के सामने अंकित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
- उक्त योजना पर होने वाला व्यय राज्य स्कीम (विस्तृत) मांग संख्या-55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- उप शीर्ष-04-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम ग्रामीण पथों का निर्माण Sub Scheme Head-01-ग्रामीण पथ विस्तृत शीर्ष 05-निर्माण-45 निर्माण कार्य विपत्र कोड--55-S-4515-00-796-04-01-05-45 के तहत विकलनीय होगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, साहेबगंज होंगे।
- राशि की निकासी जिला कोषागार, साहेबगंज से की जायेगी।
- वैधानिक रूप से जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक योजना में किसी प्रकार का Liability Create नहीं किया जाएगा।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, साहेबगंज सुनिश्चित कर लेंगे कि विषयांकित योजना का कार्यान्वयन पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा है।
- विषयांकित योजना के पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत होने पर इस स्वीकृत्यादेश को निरस्त समझा जाएगा।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, साहेबगंज कार्य प्रारंभ होने से पूर्व योजना के तकनीकी पक्षों से स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

11. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, साहेबगंज पथ सुदृढीकरण कार्य शुरू होने से पूर्व पथ की जिया-टैग फोटोग्राफी तथा कार्य पूर्ण होने पर पुनः पथ की जियो-टैग फोटोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. पथ निर्माण कार्य की उपयोगिता एवं सम्पूर्ण गुणवत्ता के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
13. संबंधित कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण के एकरारनामा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार समय-सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि पथ रैयती भूमि एवं वन भूमि अन्तर्गत नहीं है।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-1800, दिनांक-15.07.2003 एवं पत्रांक-2903, दिनांक-21.07.16 का निर्देशों एवं झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
16. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग के पत्रांक-301, दिनांक-11.03.2015 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजना स्वीकृत है।
17. उपर्युक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(Mansur Raja)
(मनीष रंजन)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 05 (यो0-7)-434/2021 ग्रा0का0वि0... 53/19, रांची, दिनांक: 23.08.2021
प्रतिलिपि-उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Mansur Raja)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 05 (यो0-7)-434/2021 ग्रा0का0वि0... 53/19, रांची, दिनांक: 23.08.2021
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Mansur Raja)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 05 (यो0-7)-434/2021 ग्रा0का0वि0... 53/19, रांची, दिनांक: 23.08.2021
प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, रांची/मुख्य अभियंता, जे0एस0आर0आर0डी0ए0, राँची/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, साहेबगंज/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय अनुश्रवण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Mansur Raja)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 05 (यो0-7)-434/2021 ग्रा0का0वि0... 53/19, रांची, दिनांक: 23.08.2021
प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Mansur Raja)
सरकार के सचिव।